न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नं० राजस्व प्रकरण 281/2017

प्रार्थीगण :-

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र हड़मानाराम
2. दिनेश कुमार हड़मानाराम
3. हंसराज पुत्र हड़मानाराम
4. भटराज पुत्र हड़मानाराम
5. श्रीमति दरियादेवी पत्नि हड़मानाराम
6. रूपानाथ पुत्र मगेशा
7. मलिया पुत्र पुना कौम गुरू, निवासीयान सराणा तह० पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. मुलाबाराम पुत्र मिसाराम गुरू
2. लाछरीदेवी पत्नि मिसराराम जाति गुरू
3. कान्ना पुत्र जेठा जाति मेघवाल
4. देदाराम पुत्र स्व० मांगा मेघवाल
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व. मांगा मेघवाल
6. देरामाराम पुत्र स्व. मांगा मेघवाल
7. तगाराम पुत्र स्व. स्व. मांगा मेघवाल
8. बाबूलाल पुत्र स्व. मांगा मेघवाल
9. मु.शान्तिदेवी बेवा स्व. मांगा मेघवाल
10. मगेशा पुत्र मूला मेघवाल
11. आसु पुत्र मूला
12. ईसरा पुत्र मूला
13. मिसरा पुत्र मूला
14. दीपा पुत्र मूला
15. करना पुत्र मूला जाति मेघवाल
16. जान्दा पुत्र मुकनाराम
17. दीपा पुत्र मुकनाराम
18. मानाराम पुत्र मुकनाराम
19. मालाराम पुत्र मुकनाराम
20. मुकनाराम पुत्र मुकनाराम
21. फुली बेवा मुकनाराम सभी जातियान [illegible]
22. हमीया पत्नि मानीलाल
23. पूनाराम पुत्र भोमाराम
24. धनाराम पुत्र भोमाराम
25. [illegible] पुत्र स्व. [illegible]
26. [illegible] पुत्र स्व० [illegible]
27. [illegible] पुत्र स्व. [illegible]
28. [illegible] बेवा स्व. [illegible]

सहायक कलेक्टर
S.D.O. [illegible]

Scanned by CamScanner

29. फौजाराम पुत्र स्व. जेरामा
30. देवाराम पुत्र स्व. जेरामा
31. जीवाराम पुत्र पेमाराम
32. बुधाराम पुत्र जगाराम
33. नरसींगाराम पुत्र खगाररराम
34. भंवरलाल पुत्र खंगाररराम
35. हस्ताराम पुत्र खगाररराम
36. हीरालाल पुत्र खगाररराम
37. चन्द्राराम पुत्र खंगाराम
38. केसाराम पुत्र खंगाररराम
39. पताराम पुत्र तिलाराम
40. पीथाराम पुत्र तिलाराम
41. छगनाराम पुत्र तिलाराम सभी जातियान मेगवाल
42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल वकील

'आदेश'

दिनांक :– 27.12.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा सराणा पटवार क्षेत्र साराणा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के खसरा न0 338 रकबा 5.10 बीघा, ख0न0 352 रकबा 21.13 बीघा, ख0न0 354 रकबा 1.02 बीघा, ख0न0 356 रकबा 25.08 बीघा ख0न0 357 रकबा 25.07 बीघा, ख0न0 378 रकबा 4.19 बीघा, ख0न0 966/355 रकबा 18बीघा, खसरा न0 967/355 रकबा 7.09 बीघा मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमी आयी हुई है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 प्रार्थीगण की उपरोक्त की खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है जिससे विप्रार्थीगण सं. 1 ता 17 खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा बरसात के समय मे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एव नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनाक 01.06.2017 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 41 सम्मन बाद तामिल के बावूजद अनुपस्थित अतः उक्त के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसगत प्रतीत होता है।

नायब तहसीलदार
(S.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेखमबदी करने हेतु भूमापक भू०निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ), बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.), बालोतरा

Scanned by CamScanner